

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बेबी कुमारी उर्फ बेबी देवी

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2013 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 14929

16 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान)

विचार के लिए मुद्दा

आंगनबाड़ी सेविका के पद से हटा दिया गया है और उसके स्थान पर उत्तरवादी संख्या 8 को नियुक्त कर दिया गया है, वह पुनः बहाली या पुनर्विचार की हकदार है और क्या लंबे समय से लंबित मामले और मुकदमेबाजी के कई दौर के कारण उसे पूर्वन्याया (रेस जुडिकाटा) के आधार पर राहत नहीं मिल पाती है।

हेडनोट्स

प्रशासनिक कानून - क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि - जिला पदाधिकारी के बजाय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति रद्द करना - माना गया, पहले का आदेश रद्द - सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद में अनुमोदन कार्रवाई को पुनः वैध बनाता है। पैरा 5-6, 10-11 : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पारित ज्ञापन संख्या 215 दिनांक 25.03.2010 को सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6358/2010 में अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण रद्द कर दिया गया। बाद में स्वतंत्र कारणों से जिला पदाधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

साक्ष्य - शैक्षिक प्रमाणपत्रों में विसंगतिपूर्ण जन्मतिथि - जालसाजी का पता लगाना - जांच द्वारा खंडन न किए जाने पर न्यायोचित माना जाना - याचिकाकर्ता के लिए कोई लाभ नहीं। पैरा 10-11, 15 : आधिकारिक अभिलेखों में एक ही व्यक्ति की दो अलग-अलग जन्मतिथियाँ (08.04.1986 और 12.01.1987) दर्शाई गई हैं, जिसे मिथ्याकरण माना गया है। इस निष्कर्ष को गलत साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया।

संवैधानिक कानून - अनुच्छेद 226 - रिट मुकदमेबाजी के कई दौर - रिटों पर लागू रेस जुडिकाटा - जब तक कि असाधारण रूप से उचित न हो, नए आधार वर्जित। पैरा 14-17 : एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम ईसीआई , (2025) 2 एससीसी 732, और दरियाओ बनाम यूपी राज्य , (1962) 1 एससीआर 574 पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने एक ही तथ्य पर लगातार दायर रिट को मान्य नहीं माना। 7 वीं पास योग्यता की दलील जो पहले नहीं उठाई गई थी, अब नहीं उठाई

जा सकती।

इक्विटी - विलंब और स्वीकृति - उत्तरवादी संख्या 8 द्वारा 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा जारी रही - न्यायालय लंबी अवधि के बाद यथास्थिति को बदलने के लिए अनिच्छुक है। पैरा 12-13 : याचिकाकर्ता को हटाए जाने के बाद उत्तरवादी संख्या 8 ने एक दशक से अधिक समय तक सेवा की है। न्यायालय बाध्यकारी कानूनी उल्लंघन के अभाव में इस तरह की लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को बाधित करने के लिए तैयार नहीं है।

न्याय दृष्टान्त

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग , (2025) 2 एससीसी 732; दरयाओ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1962) 1 एससीआर 574; डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य , (1990) 2 एससीसी 715

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान – अनुच्छेद 226; दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 11

मुख्य शब्दों की सूची

आंगनबाड़ी सेविका; प्रमाण पत्र जालसाजी; जन्म तिथि में विसंगति; रेस ज्यूडिकाटा; शैक्षिक योग्यता; बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड; क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि; विलंब और स्वीकृति; नियुक्ति रद्दीकरण

प्रकरण से उत्पन्न

जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा दिनांक 09.08.2012 (अनुलग्नक 8) के आदेश को चुनौती, जिसमें याचिकाकर्ता की आंगनबाड़ी सेविका नियुक्ति को रद्द करने और उत्तरवादी संख्या 8 की नियुक्ति की पुष्टि की गई है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री पंकज कुमार, एससी-12; श्री अनुज कुमार, एसी दू एससी-12

उत्तरवादी संख्या 8 के लिए: श्री अजय मुखर्जी, अधिवक्ता

हेडनोट्स रिपोर्टर द्वारा बनाया गया : आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2013 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 14929**

बेबी कुमारी उर्फ बेबी देवी, पति- श्री श्रवण कुमार यादव, निवासी, गाँव- रामकोल, थाना- पंजबारा, जिला- बांका

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. आयुक्त सह सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार , पटना
4. जिला पदाधिकारी, बांका
5. जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका
6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धोरैया, जिला-बांका
7. मुखिया, ग्राम पंचायत-रामकोल, जिला बांका
8. पूनम कुमार, पति- निरंजन यादव, निवासी, गाँव-रामकोल, थाना-पंजबारा, जिला-बांका

..... उत्तरवादीगण

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री पंकज कुमार, स्थायी अधिवक्ता -12

श्री अनुज कुमार, स्थायी अधिवक्ता -12 के सहायक अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 8 के लिए : श्री अजय मुखर्जी, अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

तारीख: 16-06-2025

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता , राज्य के विद्वान अधिवक्ता और निजी उत्तरवादी संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

(i) जिला पदाधिकारी, बांका के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 09/08/12 (अनुलग्नक-8) के आदेश को रद्द करने के लिए जिसके तहत उन्होंने दिनांक 25.03.2010 के आदेश (अनुलग्नक-6) को मंजूरी दी है और माना है कि याचिकाकर्ता आंगनवाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति की हकदार नहीं है।

(ii) बांका जिले के रामकोल केंद्र में आंगनवाड़ी सेविका के रूप में उत्तरवादी संख्या 8 के स्थान पर याचिकाकर्ता का चयन करने के लिए उत्तरवादी को आदेश देने के लिए जो पद के लिए सबसे उपयुक्त/योग्य उम्मीदवार है।

(iii) और कोई अन्य राहत/राहतें जिसके लिए याचिकाकर्ता को कानून की नजर में हकदार पाया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से मध्यम परीक्षा 438 अंक (प्रथम श्रेणी) प्राप्त करके उत्तीर्ण की है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता पिछड़े वर्ग से संबंधित एक शिक्षित महिला है और आंगनवाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले एक विज्ञापन के जवाब में, याचिकाकर्ता ने एक योग्य उम्मीदवार होने के नाते चयन प्रक्रिया में भाग लिया। तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुसार एक योग्यता सूची तैयार की गई थी और संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में एक आम सभा का विधिवत गठन किया गया

था। याचिकाकर्ता को इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार पाया गया और इसलिए, रामकोल आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आंगनवाड़ी सेविका के रूप में चुना गया।

4. अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के कामकाज के बारे में कोई आरोप नहीं थे, वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में समयनिष्ठ, सक्षम और ईमानदार थी, और किसी भी समय उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने छह दिवसीय प्रेरण प्रशिक्षण में भाग लिया था। हालाँकि, निजी उत्तरवादी ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15715/2009 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कथित रूप से झूठे दस्तावेज के आधार पर याचिकाकर्ता के चयन को चुनौती दी गई। इसमें यह दावा किया गया था कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के अभिलेख के अनुसार जन्म तिथि से मेल नहीं खाती है। यह सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में विफल हो गया था और बाद में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ था और पक्षों को सुनने के बाद, उक्त रिट याचिका का निपटारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15715/2009 में पारित आदेश के अनुसार किया गया था, जिसमें संबंधित प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर अभ्यावेदन का निपटान करने का निर्देश दिया गया था।

5. अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादी ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15715/2009 में पारित दिनांक 16.12.2009 के आदेश के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी, बांका के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया। जवाब में, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बांका ने ज्ञापन संख्या 215 दिनांक 25.03.2010 के माध्यम से याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया। अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि उक्त रद्द करने का आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6358/2010 में इस माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। दिनांक 13.09.2011 के आदेश के माध्यम से, इस माननीय न्यायालय ने ज्ञापन

संख्या 215 दिनांक 25.03.2010 में निहित आदेश को रद्द कर दिया और जिला पदाधिकारी, बांका को पक्षों को सुनने और कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

6. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, जिला पदाधिकारी, बांका ने घोर उल्लंघन करते हुए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को मंजूरी दे दी है, जो ज्ञापन संख्या 215 दिनांकित 25.03.2010 में निहित है, जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6358/2010 में दिनांकित 13.09.2011 आदेश के माध्यम से अधिकार क्षेत्र से परे माना गया था। उक्त कार्रवाई को इस माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, जैसा कि रिट याचिका के अनुलग्नक 7 से स्पष्ट है। अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि जिला पदाधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र नकली और मनगढ़ंत हैं। हालांकि, यह विशेष रूप से तर्क दिया गया है कि जिला पदाधिकारी का यह निष्कर्ष बिना किसी जांच या दस्तावेजों के सत्यापन के निकाला गया था। इसलिए, उक्त निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

7. अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास दो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, एक बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा और दूसरा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इनमें से कम से कम एक प्रमाण पत्र को वास्तविक माना जाना चाहिए। अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने किसी भी प्रमाण पत्र से कोई अनुचित लाभ नहीं लिया है। वह आगे बताते हैं कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 2010 से पहले की गई थी, और प्रासंगिक समय पर, आंगनवाड़ी सेविका के पद के लिए न्यूनतम पात्रता 7 वीं कक्षा पूरी करना था। इसलिए, न तो बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र और न ही बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के लिए महत्वपूर्ण था। अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि कम से कम एक प्रमाण पत्र को वास्तविक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था, जिस पर जिला

पदाधिकारी, बांका (समाहर्ता) से कोई निष्कर्ष नहीं आया है। इस प्रकार, यह आदेश कानून की दृष्टि से बिल्कुल गलत है।

8. अधिवक्ता ने आगे कहा कि बांका के समाहर्ता को एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि वह उचित सत्यापन के बाद कम से कम एक प्रमाण पत्र और याचिकाकर्ता की जन्म तिथि की वास्तविकता का निर्धारण करते हुए एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करें, ताकि याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नियुक्ति के लिए कानून के अनुसार और तत्कालीन प्रचलित मार्गदर्शक के आलोक में उत्तरवादी अधिकारियों के खिलाफ दावा कर सके।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता रिट याचिका का विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि इस माननीय न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6358/2010 में पारित दिनांक 13.09.2011 के आदेश के माध्यम से, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बांका द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया, इसे अधिकार क्षेत्र के बिना मानते हुए, मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, क्योंकि तत्कालीन नियम के अनुसार, नियुक्ति के लिए रद्द करने का आदेश समाहर्ता द्वारा पारित किया जाना चाहिए, न कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा। नतीजतन, मामले को नए सिरे से विचार के लिए समाहर्ता, बांका को वापस भेज दिया गया।

10. अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कलेक्टर, बांका ने वर्तमान रिट याचिका (अनुलग्नक 8) में आक्षेपित आदेश में, पूरे तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर स्पष्ट रूप से चर्चा की है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि 08.04.1986 के रूप में दर्ज की थी, जहां वह विफल रही थी। हालाँकि, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में, उनका जन्म तिथि का उल्लेख 12.01.1987 के रूप में किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता एक ही व्यक्ति है, इसलिए उसकी जन्म तिथि सभी दस्तावेजों में समान होनी चाहिए, चाहे परीक्षा बोर्ड कोई भी हो। अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करता है कि

आधिकारिक शैक्षणिक अभिलेखों में जन्म की दो अलग-अलग तिथियों का उल्लेख करने का कार्य, दोनों का श्रेय एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जालसाजी की गई है। इसलिए, जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूरी तरह से कानून के अनुसार है।

11. अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि वही तर्क जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अपने पहले के आदेश में सौंपा गया था, और यह पूरी तरह से उस तथ्यात्मक आधार पर है कि जिला पदाधिकारी, बांका ने भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को मंजूरी दी है, जैसा कि ज्ञापन संख्या 215 दिनांक 25.03.2010 में निहित है। अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता यह याचिका लेना चाहता है कि, प्रासंगिक समय पर लागू नियमों के अनुसार, आंगनवाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता केवल 7 वीं उत्तीर्ण योग्यता थी, और मैट्रिक या इसके समकक्ष नहीं, यह विशिष्ट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा कभी भी किसी भी स्तर पर नहीं उठाई गई थी।

12. अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के तीन दौर आए हैं, लेकिन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के संबंध में मैट्रिक्स को ध्यान में नहीं रखा गया था। अधिवक्ता ने अपने तर्क को यह कहते हुए समाप्त किया कि उत्तरवादी संख्या 8, याचिकाकर्ता को हटाने के बाद, लगातार दस वर्षों से विभाग की सेवा कर रहा है, और वर्तमान रिट याचिका पर निर्णय लेते समय इस माननीय न्यायालय द्वारा सेवा में निरंतरता के इस पहलू पर भी विचार किया जा सकता है।

13. निजी उत्तरवादी संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि, जहाँ तक योग्यता का संबंध है, यह पहले ही तर्क दिया जा चुका है। अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि वह पिछले 10-12 वर्षों से आंगनवाड़ी सेविका के पद पर सेवारत है, और याचिकाकर्ता द्वारा पहले कभी यह याचिका नहीं ली गई थी कि पात्रता प्रासंगिक अवधि में 7 वीं उत्तीर्ण थी। अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि भले ही, तर्क के लिए, रिट याचिका

की अनुमति दी जाती है, परिणाम केवल अंतिम चयन होगा, किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि निजी उत्तरवादी को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्त किया गया था। अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करते हुए अपना तर्क समाप्त किया कि याचिकाकर्ता एक मुकदमेबाज व्यक्ति है, और लगभग 12 साल के अंतराल के बाद भी, वह अभी भी मुकदमेबाजी जारी रखे हुए है।

14. पक्षों की सुनवाई के पश्चात् इस न्यायालय को ज्ञात हुआ कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 25.06.2007 के नियुक्ति पत्र के माध्यम से वर्ष 2007 में हुई थी। उसे वर्ष 2010 में ज्ञापन संख्या 215 दिनांक 25.03.2010 में निहित आदेश के माध्यम से सेवा से हटा दिया गया, जिसके आधार पर निजी उत्तरवादी संख्या 8 को नियुक्त किया गया तथा उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात्, इस माननीय न्यायालय के समक्ष तीन दौर के मुकदमें आ चुके हैं। प्रथम, सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 15715/2009, द्वितीय, सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 6358/2010, तथा तृतीय, वर्तमान रिट याचिका सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 14929/2013, जिस पर अब अंतिम रूप से वर्ष 2025 में निर्णय दिया जा रहा है।

15. इस न्यायालय ने उपरोक्त चर्चा पर विचार करने के पश्चात् पाया कि याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों का उल्लेख किया है, एक बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के अभिलेखों में तथा दूसरी बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अभिलेखों में। इसलिए, जिला पदाधिकारी का यह निष्कर्ष कि जालसाजी की गई है, सही है। हालांकि, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क से भी सहमत है कि कम से कम एक प्रमाण पत्र को वास्तविक माना जाना चाहिए। तदनुसार, यह न्यायालय मानता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रमाण पत्र में उल्लिखित प्रथम जन्म तिथि अर्थात् 08.04.1986 को ही सही जन्म तिथि माना जाएगा, क्योंकि वर्ष 1986 में कोई बाधा नहीं थी, इसलिए पहले की जन्म तिथि को सही माना जाएगा, लेकिन दूसरा बिंदु यह है कि याचिकाकर्ता को इस मुद्दे को उठाने और उत्तरवादी संख्या 8 की नियुक्ति को इस आधार

पर चुनौती देने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि प्रासंगिक समय में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन नहीं बल्कि सातवीं पास थी। लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा इस बिंदु को कभी भी प्रारंभिक चरण में नहीं उठाया गया।

16. यह न्यायालय इस बात पर गौर करता है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और इसी कारण से दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 को अधिनियमित किया गया है, जो रिट क्षेत्राधिकार में भी लागू है। रिट याचिकाओं में पूर्वन्याय (रेस जुडिकेटा) के सिद्धांत की प्रयोज्यता के बारे में यह दृष्टिकोण *एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत के चुनाव आयोग और अन्य* में अपनाया गया है, (2025) 2 एससीसी 732 में रिपोर्ट किया गया है, जहां इसे पैराग्राफ संख्या 107 से 111 में स्पष्ट रूप से माना गया है, जो इस प्रकार है:--

“107. यह दोहराना उचित है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं पर भी लागू होता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण VI में “सार्वजनिक अधिकार” शब्द को शामिल करने का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित अनावश्यक कानूनी विवादों से बचना है। इस स्पष्टीकरण को देखते हुए, रिट याचिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत जनहित याचिकाओं के मामलों में धारा 11 के लागू होने के संबंध में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है।

108. *दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* में [दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1961 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस सी. 21:(1962) 1 एस. सी. आर. 574], इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका का नियम केवल तकनीकी होने के बजाय महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति विचारों पर आधारित है। यह स्पष्ट किया गया था कि किसी निर्णय को चुनौती देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को न्यायिक

निर्णय के बार से बचने के लिए पहले उठाए गए आधारों से अलग नए आधार प्रस्तुत करने चाहिए। पीठ ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया:

“31. ... हम संतुष्ट हैं कि विवादित कानून के खिलाफ हमले के रूप में परिवर्तन से इस वास्तविक कानूनी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका और वर्तमान रिट याचिका एक ही कानून के खिलाफ निर्देशित हैं और याचिकाकर्ता द्वारा उस ओर से उठाए गए आधार काफी हद तक समान हैं।”

109. इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य [डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1990) 2 एससीसी 715: 1990 एससीसी (एलएंडएस) 339] में उपरोक्त कथन का पालन करते हुए कहा कि पूर्व न्याय (रिस ज्यूडिकाटा) के सिद्धांत रिट याचिकाओं के लिए विजातीय नहीं हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ का संदर्भ दिया जा सकता है:

“35. ... यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पूर्व न्याय (रिस ज्यूडिकाटा) के सिद्धांत रिट याचिकाओं पर लागू होते हैं। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की ओर से मांगी गई राहत वही है जो उसे अपनी सफलता की स्थिति में उच्च न्यायालय के समक्ष पहले की रिट याचिका में प्राप्त होती। याचिकाकर्ता ने जवाब में तर्क दिया कि चूंकि इस अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका को बिना कोई कारण बताए सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था, इसलिए अदालत की याचिका के लिए आदेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि यह विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का इस न्यायालय का आदेश नहीं है, जिस पर भरोसा किया जा रहा है; न्यायिक

पीठ की याचिका को उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर दबाया गया है जो विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के बाद अंतिम हो गया। इसी तरह की स्थिति में दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। [दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1961 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 21:(1962) 1 एस. सी. आर. 574] ने अभिनिर्धारित किया कि जहां उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका को खारिज कर देता है, वहां समान तथ्यों पर और समान पक्षों द्वारा दायर समान राहतों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में एक बाद की याचिका को न्यायिक प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के निर्णयों का बाध्यकारी चरित्र मूलतः विधि के शासन का एक भाग है, जिस पर न्याय प्रशासन आधारित है, जिस पर संविधान द्वारा बहुत अधिक बल दिया गया है, तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर सुनवाई के पश्चात पारित किया गया निर्णय संविधान द्वारा प्रदत्त अपील में अपास्त होने तक पक्षकारों को बाध्यकारी होना चाहिए, तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका द्वारा उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। याचिका के रूप या आधार में परिवर्तन के प्रयास को याचिका को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

110. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका पक्षकारों को उन मुद्दों पर फिर से मुकदमा करने से रोकती है जिन्हें निर्णायक रूप से सुलझा लिया गया है। यह सच है कि यह सिद्धांत पर्याप्त लोक हित के मामलों में कठोर नहीं है और संवैधानिक न्यायालयों को ऐसे मामलों में उनके दूरगामी लोक हित

प्रभावों को स्वीकार करते हुए एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार है।

111. हालाँकि, यह मानक केवल तभी लागू होता है जब आक्षेपित कार्रवाई के परिणामस्वरूप सार्वजनिक भलाई के लिए अपरिवर्तनीय नुकसान को मान्य करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि याचिका केवल एक नई बोतल में एक पुरानी शराब नहीं है, बल्कि पर्याप्त आधार उठाती है जो पहले मुकदमे में संबोधित नहीं किया गया था। केवल इन परिस्थितियों में ही वह ऐसी याचिका पर विचार कर सकता है; अन्यथा, इसे शुरुआत में खारिज करना उसके अधिकार के भीतर है।”

17. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को सातवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति का अधिकार है, इस बारे में जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, उन्हें नहीं उठाया जा सकता। इसलिए, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि लंबे मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा जो मुद्दे नहीं उठाए गए थे, उन्हें इस स्तर पर उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

18. वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय रिट याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

अमन कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।